पत्र संख्या–6/योजना–01–66/2016 गृ0आ0...../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2017

विषयः– **बिहार अग्निशाम सेवा का रद्दीकृत नीलाम किये गये वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध 31 नये अग्निशामक वाहन का क्रय हेतु कुल लागत राशि ₹ 706.00 लाख (सात करोड़ छः लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि ₹ 706.00 लाख (सात करोड़ छः लाख रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–4242, दिनांक–15.12.2016 के संबंध में कहना है कि बिहार अग्निशाम सेवा का रद्दीकृत नीलाम किये गये वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध 31 नये अग्निशामक वाहन का क्रय हेतु कुल लागत राशि ₹ 706.00 लाख (सात करोड़ छः लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि ₹ 706.00 लाख (सात करोड़ छः लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। नये वाहनों की संख्या एवं प्रति अद्द दर निम्नप्रकार है :–

क्र0	वाहन का प्रकार	लागत दर (लाख में)	संख्या	लागत राशि (लाख में)
1.	बड़ी अग्निशामक वाहन (वाटर टेंडर टाईप बी) सभी एसेसरीज सहित	30.00	15	450.00
2.	छोटी अग्निशामक वाहन सभी एसेसरीज सहित	16.00	16	256.00
		कुल	31	706.00
				(सात करोड़ छः लाख रू0)

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 706.00 लाख (सात करोड़ छः लाख रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–108–अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0102–अग्निशामक उपकरणो का क्रय" विषय शीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, विपत्र कोड–P2070001080102 योजना स्कीम कोड–HOM-5418 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर की जायेगी।

5. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6/योजना–01–66/2016 गृ0आ0 के पृ0–4/टि0 पर दिनांक–11.01.2017 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/योजना–01–66/2016 गृ0आ0 के पृ0–5/टि0 पर दिनांक–19.01.2017 को प्राप्त है।

11. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–66/2016 गृ0आ0.....706...../पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/17